



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 229] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 30, 1978/अग्रहायण 9, 1900
No. 229] NEW DELHI, THURSDAY, NOV. 30, 1978/AGRAHAYANA 9, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग्रह संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 89-आई टी सी (पी एन)/78

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर, 1978

विषय :—स्वर्ण आभूषण निर्यात प्रसिपूर्ति योजना।

[मिनीसल सं. 12/4/78-ई पी सी].—वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं. 79-
आई टी सी (पी एन)/78 दिनांक 3 नवम्बर, 1978 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है,
जिसमें यह अधिसूचित किया गया था कि 30 नवम्बर, 1978 को या इससे पूर्व

उपयुक्त योजना के अन्तर्गत स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा बचे जाने वाले शुद्ध सोने के 10 ग्राम की कीमत किसी भी स्थानीय कर को छोड़ कर 645 रुपये होगी।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि 31 दिसम्बर या इससे पूर्व स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत रिहाई आदेश के धारकों को बचे जाने वाले शुद्ध सोने के (1.000 फाइननेस) 10 ग्राम की कीमत किसी भी स्थानीय कर को छोड़ कर 590 रुपये (पांच सौ नब्बे रुपये मात्र) होगी।

का. वे शर्मा, मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 89-ITC(PN)/78

New Delhi, the 30th November, 1978

Subject : Gold Jewellery Export Replenishment Scheme

File No. 12/4/78-EPC.—Attention is invited to the Department of Commerce Public Notice No. 79-ITC(PN)/78, dated the 3rd November, 1978 notifying that the price at which the gold will be sold under the said Scheme by the State Bank of India on or before 30th November, 1978 would be Rs. 645/- for 10 grammes of pure gold (1.000 fineness), exclusive of any local taxes applicable thereto.

2. On a review of the position, it is hereby notified that the price at which gold will be sold to the Release Order holders under the said Scheme by the State Bank of India on or before 31st December, 1978 would be Rs. 590/- (Rupees five hundred and ninety only) for 10 grammes of pure gold (1.000 fineness), exclusive of any local taxes applicable thereto.

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports